भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

PUN.CAB.APTP.No. S596/09-06-002/2024-2025 08 अगस्त, 2025

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, राज्य सहकारी बैंक, आरआरबी, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक,
लघु वित्त बैंक

महोदया / महोदय,

कृषि बैंकिंग पर फाउंडेशन कोर्स
15 से 26 सितंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक, सीएबी, पुणे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी और लघु वित्त बैंकों सहित) और ग्रामीण सहकारी बैंकों के अधिकारियों, कृषि-वित्त से सबंधित अधिकारियों और बैंकों के प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों के लिए कृषि बैंकिंग (FCAB) पर फाउंडेशन कोर्स 15 से 26 सितंबर, 2025 तक सीएबी कैंपस, पुणे में आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा अर्थात ऑनलाइन और इन-कैंपस प्रशिक्षण का मिश्रण। 15 से 19 सितंबर, 2025 के दौरान कार्यक्रम CISCO Webex के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा और 22 से 26 सितमबर, 2025 के दौरान कार्यक्रम CAB, पुणे परिसर में आयोजित किया जाएगा।

2. कार्यक्रम के उद्देश्य: कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित है-

- कृषि वित्त की बुनियादी बातों, कृषि परियोजनाओं का मूल्यांकन, हाई-टेक कृषि का वित्तपोषण, फसल कटाई के बाद के प्रबंधन हेतु अवसंरचना और कृषि एमएसएमई पर जानकारी साझा करना।
- कृषि मूल्य श्रृंखला, अनुबंध खेती गतिविधियों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) जैसे उभरते क्षेत्रों के वित्तपोषण के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- प्रतिभागियों को कृषि और कृषि वित्त के विनियामक, कानूनी और जोखिम पहलुओं पर जानकारी से लैस करना।
- चयनित मॉडल परियोजना के साथ भारत में हरित वित्त के महत्व के बारे में संवेदनशील बनाना।
- बेहतर संचार और नेतृत्व कौशल के लिए व्यवहार संबंधी पहलुओं में बदलाव लाना।

3. स्थान और आवास : कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। 15 से 19 सितंबर, 2025 के दौरान यह कार्यक्रम CISCO WebEx प्लेटफॉर्म पर सुबह 09.45 बजे से शाम 5.45 बजे तक आयोजित किया जाएगा। प्रतिभागी कैमरे के साथ (लैपटॉप, पीसी, स्मार्टफोन आदि) किसी भी डिवाइस के द्वारा और अच्छी बैंडविड्थ के साथ एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ सकते हैं। वेबएक्स प्लेटफॉर्म में शामिल होने के बारे में विवरण प्रतिभागियों को उचित समय पर सूचित किया जाएगा। 22 से 26 सितंबर, 2025 के दौरान कार्यक्रम सीएबी, पुणे परिसर में आयोजित किया जाएगा। ठहरने और खाने की व्यवस्था सीएबी परिसर में की जाएगी। प्रतिभागी कार्यक्रम की पूर्व संध्या को सीएबी मे रिपोर्ट

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, विद्यापीठ मार्ग, पुणे – 411 016 (महाराष्ट्र) भारत
फोन : (91-020) 25538392 फैक्स : (91-020)25538959/25537089 ई-मेल: principalcab@rbi.org.in

College of Agricultural Banking, University Road, Pune - 411 016 (Maharashtra) INDIA
Phone : (91-020) 25538392 Fax : (91-020) 25538959 E-mail : principalcab@rbi.org.in

कर सकते हैं और कार्यक्रम के समापन पर प्रस्थान कर सकते हैं। अधिक समय तक रुकने और अतिथि के साथ आने की अनुमति नहीं है।

4. पाठ्यक्रम सामग्री एवं कार्यप्रणाली: कार्यक्रम की व्यापक पाठ्यक्रम सामग्री अनुबंध I में दी गई है। प्रशिक्षण पद्धति में इंटरैक्टिव सत्र, केस अभ्यास, समूह कार्य और क्षेत्र दौरे शामिल होंगे।

5. **लक्ष्य समूह:-** कृषि, कृषि व्यवसाय और कृषि एमएसएमई को ऋण देने में शामिल नए या हाल ही में भर्ती किए गए अधिकारी पाठ्यक्रम के लिए नामांकित किया जा सकता है। यह पाठ्यक्रम उन बैंक अधिकारियों के लिए भी उपयोगी होगा जिनकी नियुक्ति ग्रामीण शाखाओं में होने की संभावना है या जो नियंत्रण कार्यालय या प्रधान कार्यालय स्तर पर कृषि पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। संभावित प्रशिक्षकों सहित बैंकों के प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को भी इस पाठ्यक्रम के लिए नामांकित किया जा सकता है।

6. हम आपसे इस कार्यक्रम के लिए अपने बैंक से उपयुक्त अधिकारियों को नामित करने का अनुरोध करते हैं। नामांकन **10 जनवरी, 2025** को या उससे पहले nomination.ami@rbi.org.in पर भेजे जा सकते हैं। चूँकि सीटों की संख्या सीमित है, नामांकन first-come-first-served के आधार पर स्वीकार किये जायेंगे। **भागीदारी शुल्क का विवरण अनुबंध II में दिया गया है ।**

7. नामांकन संबंधी पूछताछ के लिए**,** आप नामांकन डेस्क (श्री प्रथमेश पाटील- टेलीफोन नंबर 020 2558 2396) से संपर्क कर सकते हैं या ई-मेल के माध्यम से **nomination.ami@rbi.org.in** पर संपर्क कर सकते हैं।

IMPORTANT DATES	
Last date for receipt of nomination	05 सितमबर, 2025
For online part through Webex (September 15 to 19, 2025)	
Timings of programme	09.45 am to 05.45 pm (04 sessions of 75 min each per day)
For in-campus part (September 22 to 26, 2025)	
Reporting at CAB	September 21, 2025 Evening
Completion of programme	06.00 p.m. on September 26, 2025

सादर

(सचिन कांबले)
उप महाप्रबंधक
कार्यक्रम निदेशक
संपर्क: 020-22582314, Email ID- sachinkamble@rbi.org.in
अनुलग्नक: यथोक्त

Annex I

- **Module 1:** Agri-finance Basics - Fundamentals and overview of agriculture and agri-finance, regulatory guidelines on Agri finance, KCC, etc.
- **Module 2:** Project Finance - Appraisal of Agri and allied sector projects such as farm mechanization, horticulture, dairy, poultry, fisheries, micro irrigation, etc., along with case exercises on each of these projects.
- **Module 3:** Financing Hi-Tech Agriculture - Bankable projects in Agri-biotechnology with case exercises and various aspects of use of technology in farming systems such as urban farming, vertical farming, hydroponics, aquaponics, etc.
- **Module 4:** Financing Post Harvest Management Infrastructure - Agricultural marketing system, post-harvest infrastructure, financing of rural godowns and cold storages, Negotiable Warehouse Receipt (NWR) financing, etc., with case exercises.
- **Module 5:** Agri MSME -Importance and overview and financing of Agro enterprises along with sessions on analysis of financial statements, and working capital assessment with case exercises, Food and Agro processing etc.
- **Module 6:** New Delivery Models for Agri-finance - Delivery models such as Agri Value Chain Financing, Contract Farming, financing of Farmers' Producer Organizations, SHG JLG and tenant farmers etc.
- **Module 7:** Financing Climate Smart and Wellness Agriculture: Role and initiatives of various agencies in green finance in India.
- **Module 8:** Risks and Regulations - Risk management in Agri-lending, documentation, Post sanction supervision, NPA, recovery aspects, crop insurance, related regulatory guidelines, KYC AML etc.

अनुबंध II

कृषि बैंकिंग पर फाउंडेशन कोर्स

Fee Structure

Group	Type	Total fees to be paid per participant in Rs. (including GST)
Commercial Banks and Financial Institutions	Residential	**45,607/-**
	Non-residential	**33,453/-**
Scheduled UCBs, Non-Scheduled UCBs with deposit base of more than Rs.100 crore, RRBs, LABs, State Cooperative Banks and NBFCs	Residential	**32,745/-**
	Non-residential	**23,541/-**
Non-Scheduled UCBs with deposit base of less than Rs.100 crore, SFBs, Payment Banks, Government Departments, DCCBs, NGOs, State Level FIs, Non-NBFC MFIs and Certified Credit Counsellors	Residential	**21,240/-**
	Non-residential	**15,104/-**

Please use the programme code AMI-20012025 in Sender to Receiver Information while remitting the fee through NEFT.

PLEASE DON'T REMIT THE PAYMENT THROUGH RTGS. PLEASE MAKE THE PAYMENT BY NEFT ONLY.

In terms of section 48 of RBI Act 1934, RBI is exempted from payment of Income Tax or Super Tax on any of its Income, Profits or Gains. Nominating institutions should therefore not deduct TDS on the Programme Fees.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1969 में ग्रामीण और सहकारी बैंकिंग में प्रशिक्षण इनपुट प्रदान करने के लिए कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी) की स्थापना की गई। इसके बाद, भारतीय वित्तीय क्षेत्र की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखे हुए, महाविद्यालय द्वारा कृषि बैंकिंग, एमएसएमई वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन और साक्षरता, मानव संसाधन और नेतृत्व आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया गया। अकादमिक वर्ष 2021 से महाविद्यालय द्वारा चार फोकस एरिया (4C) यथा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और अनुपालन प्रबंधन की पहचान की गई हैं ताकि वित्तीय प्रणाली में मजबूती प्रदान करने और सेवा मानकों में वृद्धि करने के लिए बैंकरों तथा फाइनेंशियल प्रोफेशनलों की क्षमता निर्माण की जा सके। महाविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कार्यक्रमों और अनुसंधान सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। इसी के साथ, महाविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार कस्टमाइज प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2015 से एमएसएमई वित्तपोषण के क्षेत्र में विशेषीकृत नैमकैब कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए नोडल संस्थान के रूप में नामित किए जाने के साथ ही वर्ष 2021 में मिशन 'अवतु' के अंतर्गत साइबर सुरक्षा पर शहरी सहकारी बैंकों के विभिन्न स्टेकहोल्डरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महाविद्यालय को 'नोडल संस्थान' के रूप में नामित किया गया।